भागीदारी-विघटन का विलेख

यह भागीदारी विलेख दिनांक.....माह.....सन्.....को ..... के दिन ... . नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा उनके बीच में निष्पादित किया गया :-

(1) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

(2) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

(3) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

चूंकि उपरोक्त पक्षकारों ने दिनांक ..... को एक भागीदारी फर्म का गठन किया था एवं एक भागीदारी-विलेख का निष्पादन किया था तथा उल्लिखित शर्तो के अनुसार दिनांक .... तक फर्म का व्यवसाय करते रहे थे ।

और चूंकि सभी पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से यह निश्चय किया गया कि उक्त भागीदारी का विघटन कर दिया जाए एवं फर्म की सारी पूंजी एवं उसके सभी लाभों को फर्म के ऋण आदि अदा कर शेष को विलेख में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पक्षकारों में विभाजित कर दिया जाये ।

अतएव यह विलेख साक्ष्य है कि हम उक्त भागीदारीगण भागीदारी-विघटन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत सहमत होते है :-

(1) कि उक्त भागीदारी फर्म ..... का दिनांक ..... को विघटन एवं भागीदारों के बीच किए गए भागीदारी करार का पर्यावसान समझा जायेगा तथा उक्त दिनांक ..... में कोई भी भागीदार न तो संयुक्त रूप से और न ही पृथक रूप से भागीदारी फर्म के नाम से ..... वर्षो तक कोई व्यापार-व्यवसाय कर सकेगा ।

(2) कि दिनांक ..... तक भागीदारी फर्म का सारा लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा एवं भागीदारी फर्म द्वारा किए गए ऋणों को वसूल करना होगा ।

(3) कि भागीदारी फर्म की सारी पूंजी, सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, वसूल किए गए ऋण आदि की एक सूची तैयार की जायेगी एवं उनमें से भागीदारी फर्म पर के कर्जों की अदायगी एवं अन्य खर्चों को निकालकर शेष को सभी पक्षकारों में भागीदारी-विलेख की शर्तों के अनुसार विभाजित कर दिया जाएगा ।

(4) कि भागीदारी फर्म के विघटन के पश्चात् ऐसी किसी हानि या ऋण का पता चलता है तो सभी पक्षकारों को समान रूप से उसे वहन करना पड़ेगा ।

(5) कि फर्म के विघटन के पश्चात् ऐसी किसी देनगी का पता चलता है जो कि किसी पक्षकार ने अन्य पक्षकारों से छिपाकर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अर्जित किया था, उसको अदा करने का दायित्व स्वयं उस पक्षकार पर होगा ।

निरंतर....2

(6) भागीदारी के ऋणों एवं दायित्वों को चुकाने के बाद शेष राशि में उक्त भागीदारों को पूंजी चुकाई जायेगी एवं शेष सम्पदा को भागीदारों में उनके लाभ (विभाजन के अंश) अनुपात में बांटा जायेगा । यदि कोई हानि होगी तो सभी भागीदार उसी अनुपात में उसको वहन करेंगे ।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

साक्षीगण :–

(1) .....

(2) .....

हस्ताक्षर .....
(प्रथम पक्षकार)

हस्ताक्षर .....
(द्वितीय पक्षकार)

हस्ताक्षर .....
(तृतीय पक्षकार)